आवश्यक/समयबद्ध

संख्या:23/2020/1436/12-2-2020-60(82)/2018

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2020

विषय: पी0एम0 किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा संतृप्त किए जाने हेतु अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत सभी पी0एम0 किसान लाभार्थियों को आच्छादित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष के दौरान, अतिरिक्त 2.5 करोड किसानों को आच्छादित करने का प्रस्ताव है। इन किसानों के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त 2.00 लाख करोड रूपये शामिल करने और कार्यशील पूंजीगत आवश्यकता के लिए क्रेडिट की लागत को कम करने की सम्भावना है।

2. अवगत कराना है कि प्रदेश में पी0एम0 किसान लाभार्थियों की कुल संख्या 2,14,89,735 है जबकि मात्र 1,30,89,818 किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं। इस प्रकार कम से कम 83,99,917 पी0एम0 किसान लाभार्थी ऐसे हैं, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं हैं।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0 एम0 किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा संतृप्त किए जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:-

(1) ग्राम पंचायत स्तर पर अवशेष कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने के लिए शिविर लगाये जायें जिसमें राजस्व विभाग सहित कृषि विभाग व पंचायत विभाग तथा ग्राम विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित रहें किन्तु इन शिविरों के आयोजन के समय वर्तमान में कोविड-19 के दृष्टिगत समस्त प्रोटोकाल यथा सामाजिक- शारीरिक दूरी, शारीरिक तापमान की जांच, सैंनिटाइजेशन, मास्क का अनिवार्य प्रयोग आदि का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाय।

(2) पी0एम0 किसान लाभार्थियों की सूची के अनुसार उन सभी शेष पी0एम0 किसान लाभार्थियों, जिनके पास के0सी0सी0 नहीं है, विभाग के अधिकारी उनसे सम्पर्क कर सरलीकरण फार्म भरवाकर उस बैंक शाखा में जमा करायें जहॉ से वे पी0 एम0 किसान का लाभ ले रहे हैं ताकि ऐसे पी0एम0 किसान लाभार्थियों को इस वर्ष के0 सी0 सी0 के तहत कवर किया जा सके।

(3) के0सी0सी0 के लाभ अब पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य किसान के लिए भी उपलब्ध है। इन किसानों को फसल उत्पादन हेतु मौजूदा के0सी0सी0 के लिए ऋण सीमा बढाये जाने के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए अथवा केवल पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य की क्रियाकलापों में शामिल किसानों को नए कार्ड जारी किए जाने की कार्यवाही की जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) ग्राम स्तर पर राजस्व अधिकारियों द्वारा बैंकों में लंबित आवेदनों के लिए भू-दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जारी की सुविधा प्रदान की जाए ताकि आवेदनों के अनुसार त्वरित रूप से के0 सी0 सी0 जारी किए जा सकें।

(5) समस्त आवेदन-पत्रों को संबंधित बैंक को प्रेषित कर यह सुनिश्चित कराया जाये कि वह इन्हे निर्धारित समय समय से स्वीकृत कर दें।

(6) बैंकों के साथ आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य को सफल बनाये जाने के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिये जायें।

जिला स्तरीय बैंकर्स समिति में भी इसकी नियमित समीक्षा की जाये जिससे इन प्रार्थना-पत्रों का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण हो जाये।

इस सम्बन्ध में पी0 एम0 किसान लाभार्थियों में किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित किसानों की संख्या जिलेवार संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या:23/2020/1436(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, 11- विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. महाप्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बडौदा, बडौदा हाऊस, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक, द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6. समस्त उप कृषि निदेशक, द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।